संख्या एफ 1-30/98-99 एन.सी.टी.ई.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

सी - 2/10 सफदरजंग डवलपमेन्ट एरिया

श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली - 110016

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2000

संख्या फा. 1-30/2000 एनसीटीई – राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का संख्या 73) के खण्ड 14 और 15 के साथ पठित खण्ड 32 के उप-खण्ड (2) की धारा (च) और (ज) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्न को संशोधित करने के लिए ये विनियम बनाती है : (i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र, प्रस्तुति की विधि, संस्थानों की मान्यता के लिए शर्तों का निर्धारण और नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 1995; (ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा सहित दूरस्थ शिक्षा अथवा आमने-सामने अनुदेशन को छोड़कर, किसी अन्य पद्धति के माध्यम से जिसके फलस्वरूप बी.एड. की डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री प्रदान की जाती है, की पेशकश करने वाले अथवा इस आशय का इरादा रखने वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान करने तथा कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति देने के लिए शर्तों का निर्धारण) विनियम, 1996; (iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक, बी.एल.एड. की मान्यता के लिए मानदण्ड और शर्तें) विनियम, 1998, (iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों-सी.पी.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. की मान्यता के लिए मानदण्ड और शर्तें) विनियम, 1998; (v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (आमने-सामने शिक्षण के माध्यम से एम.एड. तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एम.एड. के लिए मानदण्ड और शर्तें) विनियम, 1998.

2. इन विनियमों को (मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा) (संशोधन) विनियम, 2000 कहा जाएगा।

3. ये संशोधित विनियम, 2000 मौजूदा विनियमों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक संशोधित करते हैं :

क्र.सं.	राजपत्र की अधिसूचना संख्या तथा तारीख, आदेश संख्या तथा तारीख	विनियम	मौजूदा प्रावधान	संशोधित होने पर इस रूप में पठित
1.	8, 24.2.96 28-11/95 एनसीटीई	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए	पैरा 7(ख) तथा (ग) (ख) अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम अथवा	पैरा 7(ख) तथा (ग) (ख) अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम अथवा

Attested
25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

	दिनांक 29.12.95	प्रार्थना पत्र, प्रस्तुति की विधि, संस्थानों की मान्यता के लिए शर्तों का निर्धारण और नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के अनुमति) विनियम,1995	प्रशिक्षण की पेशकश का इच्छुक प्रत्येक संस्थान आगामी शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की शुरूआत करने के लिए प्रतिवर्ष 31दिसम्बर तक सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देगा ।	प्रशिक्षण की पेशकश करने का इच्छुक प्रत्येक संस्थान प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देगा । लेकिन शर्त यह है कि जिन राज्यों में शैक्षणिक सत्र प्रतिवर्ष जनवरी से आरम्भ होता है, उनमें आगामी शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख प्रतिवर्ष 30 जून होगी ।
		(ग)	मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के निमित्त प्रार्थना पत्र परिशिष्ट-1 में दिए गए फार्म में इस ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कि वह आगामी शैक्षणिक सत्र में अध्यापक शिक्षा में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास कैलेण्डर वर्ष के 31दिसम्बर से पहले पहुंच जाए ।	(ग) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने अथवा प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति प्राप्त करने के निमित्त प्रार्थना पत्र परिशिष्ट-1 में दिए गए फार्म में इस ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कि वह प्रतिवर्ष 31दिसम्बर तक या उससे पहले क्षेत्रीय समिति के पास पहुंच जाए । तथापि, शर्त यह है कि जिन राज्यों के मामले में शैक्षणिक सत्र प्रतिवर्ष जनवरी से आरम्भ होता है, उनमें आगामी शैक्षणिक सत्र में शुरू किए जाने वाले पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के संबंध में प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तारीख प्रति वर्ष 30 जून होगी ।
2.	14, 5.5.1997 28-9/96 एनसीटीई	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा सहित दूरस्थ शिक्षा अथवा आमने-सामने अनुदेशन को छोड़कर, किसी अन्य पद्धति के माध्यम से जिसके फल-स्वरूप बी.एड. की डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री प्रदान की जाती है, की पेशकश करने वाले अथवा इस आशय का इरादा रखने	<u>पैरा 8(क) तथा (ख)</u> (क) अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की पेशकश करने वाला प्रत्येक संस्थान एक प्रार्थना पत्र इस ढंग से तैयार करेगा कि वह आगामी शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने वाले पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के संबंध में प्रतिवर्ष 31दिसम्बर तक संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास पहुंच जाए ।	<u>पैरा 8(क) तथा (ख)</u> (क) अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की पेशकश करने वाला प्रत्येक संस्थान एक प्रार्थना पत्र इस ढंग से तैयार करेगा कि वह संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास प्रत्येक वर्ष 31दिसम्बर को अथवा उससे पूर्व पहुंच जाए । शर्त यह है कि जिन राज्यों के मामले में शैक्षणिक सत्र प्रतिवर्ष जनवरी से आरम्भ होता है, उनमें आगामी शैक्षणिक सत्र में शुरू किए जाने वाले

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

294

		वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान करने तथा कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति देने के लिए शर्तों का निर्धारण) विनियम, 1996.		पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के संबंध में प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तारीख प्रतिवर्ष 30 जून होगी ।
			(ख) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने अथवा प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति प्राप्त करने के निमित्त प्रार्थना पत्र परिशिष्ट-1 में दिए गए फार्म में इस ढंग से प्रस्तुत किया जायेगा जिससे कि वह आगामी शैक्षणिक सत्र में अध्यापक शिक्षा में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर से पहले पहुंच जाए ।	(ख) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने अथवा प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति प्राप्त करने के निमित्त प्रार्थना पत्र परिशिष्ट -1 में दिए गए फार्म में इस ढंग से प्रस्तुत किया जायगा जिससे कि वह प्रतिवर्ष 31दिसम्बर तक या उससे पहले संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास पहुंच जाए । शर्त यह है कि जिन राज्यों के मामले में शैक्षणिक सत्र प्रतिवर्ष जनवरी से आरम्भ होता है, उनमें आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू किए जाने वाले पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के संबंध में प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तारीख प्रतिवर्ष 30 जून होगी ।
3.	(i) 12, 20.3.99 28-4/98-99 /एनसीटीई दिनांक 29.12.98 (ii) 12, 20.3.99 28-3/98-99 एनसीटीई दिनांक 29.12.98 तथा (iii) 7, 13.2.99, 28-2/98-99, एनसीटीई दिनांक 29.12.98	(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्(प्रारंभिक शिक्षा स्नातक, बी.एल.एड की मान्यता के लिए मानदण्ड और शर्तें) अधिनियम 1998 (ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों - सी.पी.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. की मान्यता के लिए मानदण्ड और शर्ते) विनियम, 1998. (iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (आमने-सामने शिक्षण के माध्यम से एम.एड. तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम	पैरा 8(क) तथा (ख) (क) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की पेशकश करने का इच्छुक प्रत्येक संस्थान इस ढंग से प्रार्थना पत्र तैयार करेगा कि वह आगामी शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने की निर्धारित तारीख से कम से कम चार महीने पहले संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास पहुंच जाए ।	पैरा 8(क) तथा (ख) (क) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की पेशकश करने का इच्छुक प्रत्येक संस्थान इस ढंग से प्रार्थना पत्र तैयार करेगा कि वह 31 दिसम्बर को अथवा उससे पूर्व संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास पहुंच जाए । शर्त यह है कि जिन राज्यों के मामले में शैक्षणिक सत्र प्रतिवर्ष जनवरी से आरम्भ होता है, उनमें आगामी शैक्षणिक सत्र में शुरू किए जाने वाले पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के संबंध में प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तारीख प्रति वर्ष 30 जून होगी ।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

से एम.एड. के लिए मानदंड और शर्ते) विनियम, 1998	(ख) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अथवा प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने की निर्धारित तारीख से कम से चार महीने पहले संबंधित क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे ।	(ख) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अथवा प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र इस ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कि वह प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक या उससे पहले संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास पहुँच जाए । शर्त यह है कि जिन राज्यों के मामले में शैक्षणिक सत्र प्रतिवर्ष जनवरी से आरम्भ होता है, उनमें आगामी शैक्षणिक सत्र में शुरू किए जाने वाले पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के संबंध में प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तारीख प्रतिवर्ष 30 जून होगी ।

4. ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

एस. के. राय

(एस.के. रॉय)

सदस्य सचिव

Attested
25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाईन्स, दिल्ली–54

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

C-2/10, Safdarjung Development Area,
Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110 016

New Delhi, the 18th September, 2000

No.F.1-30/2000 NCTE - In exercise of the powers conferred under clause (f) and (g) of sub-section (2) of the Section 32 read with Section 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No.73, 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following Regulations to amend (i) the NCTE (application for recognition the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995 (ii) the NCTE (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education, or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed. degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996 (iii) the NCTE (norms and conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education B.El.Ed.) Regulations, 1998 (iv) the NCTE (Norms and conditions for recognition of teacher education Programme in Physical Education - C.P.Ed., B.P.Ed. and M.P.Ed.) Regulations, 1998 (v) the NCTE (Norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed. through distance education) Regulations, 1998

2. These Regulations may be called the NCTE (time limit for submission of application for recognition) (Amendment) Regulations, 2000.

3. These Amendment Regulations, 2000 modify the existing Regulations to the extent indicated against each of them:-

Sl.No.	Gazette Notification No. & date, order no. & date	Regulations	Existing provision	Modified to be read as
1.	8, 24.2.96, 28-11/95 NCTE dt.29.12.95	The NCTE (application for recognition the manner	Para 7 (b) & (c) (b)Every institution intending to offer a course or training in teacher education	Para 7 (b) & (c) (b)Every institution intending to offer a course or training in teacher

Attested
[signature] 25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

297

		for submission determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995	shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee by the 31^{st} December every year for commencement of course or training from the next academic session	education shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee on or before 31^{st} December every year. Provided that in the case of States , where academic session begins from January every year the last date for submission of application would be 30^{th} June of every year for the course or training commencing in the next academic session.
			(c) Application for permission to start any new course or training in teacher education by recognised institutions shall be submitted in the form in Appendix -I so as to reach the Regional Committee concerned before 31^{st} December of the calendar year for the course or training in teacher education proposed to be	(c)Application for permission to start any new course or training in teacher education or increase in intake by recognised institutions shall be submitted in the form in Appendix-I so as to reach the concerned Regional Committee on or before, 31^{st} December every year. Provided that in the case of

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

298

			offered in the next academic year.	States where academic session begins from January every year the last date for submission of application would be 30th June of every year for the course or training commencing in the next academic session.
2.	14, 5.5.1997, 28-9/96 NCTE	The NCTE (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education, or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed. degree	Para 8 (a) & (b) (a)Every institution intending to offer a course or training in teacher education shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee by the 31st December every year for commencement of course or training from the next academic session.	Para 8 (a) & (b) (a)Every institution intending to offer a course or training in teacher education shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee on or before 31st December every year. Provided that in the case of States where academic session begins from January every year the last date for submission of application would be 30th June of every year for the

Attested
25/11/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

299

		or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996		course or training commencing in the next academic session.
			(b) Application for permission to start any new course or training in teacher education or increase in intake by recognised institutions shall be submitted in the form in Appendix-I so as to reach the Regional Committee concerned before 31st December of the calendar year for the course or training in teacher education proposed to be offered in the next academic year.	(b)Application for permission to start any new course or training in teacher education or increase in intake by recognised institutions shall be submitted in the form in Appendix-I so as to reach the concerned Regional Committee on or before 31st December every year. Provided that in the case of States where academic session begins from January every year the last date for submission of application would be 30th June of every year for the course or training commencing in the next academic session.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

300

3.	(i)12, 20.3.99, 28-4/98-99/NCTE dt.29.12.98 (ii)12, 20.3.99, 28-3/98-99/NCTE dt.29.12.98 and (iii) 7, 13.2.99, 28-2/98-99/NCTE dt.29.12.98	(i) the NCTE (norms and conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education B.El.Ed.) Regulations, 1998 (ii) the NCTE (Norms and conditions for recognition of teacher education Programme in Physical Education - C.P.Ed., B.P.Ed. and M.P.Ed.) Regulations, 1998 and (iii) the NCTE (Norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed. through distance education) Regulations, 1998	Para 8 (a) & (b) (a)Every institution intending to offer a course or training in teacher education shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee at least four months before the scheduled date of commencement of next academic session. (b)Application for permission to start any new course or training in teacher education or increase in intake by recognised institution shall be submitted so as to reach the Regional Committee	Para 8 (a) & (b) (a)Every institution intending to offer a course or training in teacher education shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee on or before 31st December every year. Provided that in the case of States where academic session begins from January every year the last date for submission of application would be 30th June of every year for the course or training commencing in the next academic session. (b)Application for permission to start any new course or training in teacher education or increase in intake by recognised institutions shall be submitted so as to reach the

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

301

			concerned at least four months before the scheduled ate of commencement of next academic session.	concerned Regional Committee on or before 31st December every year. Provided that in the case of States where academic session begins from January every year the last date for submission of application would be 30th June of every year for the course or training commencing in the next academic session.

4. These modifications shall come into force with immediate effect.

(S.K.RAY)
Member Secretary

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

302